128

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल
अध्यक्ष

प्रकरण कमांक निगरानी 3646–पीबीआर/15 विरूद्ध आदेश दिनांक 16–7–2015 पारित द्वारा आयुक्त नर्मदापुरम् संभाग होशंगाबाद प्रकरण कमांक 258/अपील/2011–12.

1–मंशाराम आ0इमरतलाल

2–चैना गोंड आ0दुलिया

2 अ–कातिबाई पत्नि इजरतलाल गौड निवासी पांजराकला
तहसील इटारसी जिला होशंगाबाद म0प्र0

.....आवेदकगण

विरूद्ध

श्रीमती शांतिबाई पुत्री चैना पत्नि रामगोपाल
निवासी इटारसी तहसील इटारसी जिला होशंगाबाद .....अनावेदक

श्री आशीष गुप्ता, अभिभाषक, आवेदकगण

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 11/5/18 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत आयुक्त नर्मदापुरम् संभाग होशंगाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 16–7–2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि ग्राम मकोडिया तहसील बाबई में स्थित भूमि सर्वे नम्बर 89, 131/2, 152/2क कुल रकबा 3.018 हेक्टेयर भूमि शासकीय अभिलेख के अनुसार आवेदक कमांक 2 चैना गौड के नाम पर दर्ज थी । आवेदक कमांक 1 मंशाराम द्वारा आपसी बटवारे के अनुसार संहिता की धारा 178–क के अन्तर्गत संशोधन पंजी कमांक 12 प्रमाणीकरण दिनांक 13–9–10 के अनुसार उक्त प्रश्नाधीन भूमि आवेदक के नाम पर अंतरित की गई जिसके विरूद्ध अनावेदिका द्वारा अनुविभागीय अधिकारी न्यायालय में अपील प्रस्तुत की गई और अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 29–6–2012 को आदेश पारित कर आवेदक चैना का वैध वारिस न होने के कारण एवं विभाजन संबंधी प्रमाणीकरण आदेश विधि विरूद्ध होने से अपील अस्वीकार की गई । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर आयुक्त द्वारा दिनांक 16–7–15 को आदेश पारित अपील अस्वीकार की गई । आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि मूल संशोधन पंजी मौजा मकौडिया तहसील बाबई जिला होशंगाबाद की संशोधन पंजी कमांक 12 प्रमाणीकरण 2010 एक विधिसम्मत आदेश है जिसकी पुष्टि किया जाना आवश्यक है क्योंकि इसके द्वारा खसरा नम्बर 89, 131/2, 152/2 क कुल रकबा 3.018 हेक्टेयर भूमि चैना के द्वारा आवेदक मंशाराम को अपना गोद पुत्र होने ओर आपसी सहमति के अनुसार दर्ज कराई गई है । चैना द्वारा मंशाराम को प्रारंभ से ही अपने पास गोद पुत्र एव वंश आगे चलाने के लिये अपने पास रखा गया है, चूँकि मौजा मकोडिया में अपने पास रखा गया है और वह उसे गोद पुत्र के रूप में धारण किये हुये है । आदिवासी गोंड जाति का होने के कारण इस परिवार को हिन्दु विधि ओर हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधान लागू नहीं होते है तथा आदिवासी गोंडो का जो पर्सनल लॉ होता है उसमें पुत्र को ही अधिकार प्राप्त होते हैं – पुत्रियों को कोई भी अधिकार नहीं होते हैं । इसी कारण से चैना के द्वारा मंशाराम को अपने गोद पुत्र होने के कारण संपत्ति का अंतरण किया गया है जो किसी भी रूप में अवैधानिक नहीं है । यह भी कहा गया कि अपीलीय न्यायालयों के निर्णय

कल्पनाओं ओर संभावनाओं पर आधारित है तथा नैसर्गिक एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के प्रतिकूल होकर अनियमित व आधारहीन है इस कारण निरस्त किये जाने योग्य है । उनके द्वारा अंत में निवेदन किया गया कि निगरानी स्वीकार की जाकर दोनों अपीलीय न्यायालयों के आदेश निरस्त किये जाकर मूल संशोधन पंजी कमांक 12 में प्रमाणित आदेश दिनांक 13–9–10 की पुष्टि की जाये ।

4/ अनावेदक के सूचना उपरांत अनुपस्थित रहने के कारण उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई है ।

5/ आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि ग्राम मकोडिया की प्रश्नाधीन भूमि चैना वल्द दुलिया के नाम पर अभिलिखित भूमि है तथा वैध वारिस में उनकी दो पुत्री शांतिबाई एवं कांतिबाई होना पाया गया । इस संबंध में संहिता की धारा 178–क में यह प्रावधानित है कि यदि कोई भूमिस्वामी अपनी कृषि भूमि को अपने जीवनकाल के दौरान विधिक वारिसों में विभाजित करना चाहता है तो विभाजन के लिये तहसीलदार को आवेदन कर सकेगा एवं तहसीलदार विधिक वारिसों की सुनवाई करने के पश्चात् खाते को विभाजित कर सकेगा । आवेदक मंशाराम द्वारा भूमिस्वामी चैना का वैध वारिस होने के संबंध में कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये है और न ही संशोधन पंजी में उसका उल्लेख होना पाया गया । तहसीलदार द्वारा संशोधन पंजी पर किये गये विभाजन के संबंध में अनुविभागीय अधिकारी के जो निष्कर्ष निकाले गये है वह उचित है एवं अनुविभागीय अधिकारी के आदेश की पुष्टि करने में आयुक्त द्वारा कोई त्रुटि नहीं की गई है । अतः अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा निकाले गये समवर्ती निष्कर्ष हस्तक्षेप योग्य नहीं है। इस संबंध में 2012 आरएन 438 तुलसीदास विरूद्ध सालिगराम में निम्नलिखित न्यायिक सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है :–

> "धारा 50 – तीनों निचले न्यायालयों के एक ही निष्कर्ष – पुनरीक्षण में हस्तक्षेप अपेक्षित नहीं ।"

उपरोक्त न्यायिक सिद्धांत के प्रकाश में अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश नीतिगत एवं उचित होने से स्थिर रखे जाने योग्य है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर आयुक्त नर्मदापुरम् संभाग होशंगाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 16–7–2015 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर